बिन्दु-6

20

अत्यावश्यक संख्या : एल. 1229/14-3-606/87

प्रेषक,

श्री गोपी मोहन श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर 1990

विषय- जनपद पिथौरागढ़ में चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 56.28 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद पिथौरागढ़ में चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को 56.28 हे0 वन भूमि के निःशुल्क हस्तान्तरण की निम्न शर्तें एवं भारत सरकार के पत्रांक-8-83/89एफ0सी0 दिनांक-13/9/90 में निहित शर्तों पर अनुमति प्रदान करते हैं :-

1- यह उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा यह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

2- लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों व्यक्तियों के अधीन या उनके सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है। अथवा पहुँचाई जाती है तो उसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वयं निर्धारित प्रतिकर जो अन्तिम निर्णायक तथा लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।

3- उक्त भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो लोक निर्माण विभाग के लिये आवश्यक न रहे वन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को किसी प्रतिकर के भुगतान के बाबत वापस हो जायेगी।

4- वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

5- कथित भूमि हस्तान्तरण के बाद भी आरक्षित/रक्षित वन भूमि मानी रहेगी एवं उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

24

136/28-5-167
अतिरिक्त
कार्यालय

6- लोक निर्माण विभाग मार्ग के दोनों ओर वृक्ष

7- क्षतिपूर्ति रोपवन का व्यय संबंधित वन संरक्षक पत्र० 642/14-3-672/89 दिनांक- 30/11/1989 के अनुसार पूर्व वसूल किया जायेगा । वन शासनादेश से सम्बन्धित वन रोपवन करना सुनिश्चित करेंगे ।

8- उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि 56.28 हेक्टे... के दोनों ओर वृक्षारोपण तथा 56.28 हे0 वन भूमि एवं 56.28 हे0 के दुगुने अवनत क्षेत्र में भी वृक्षारोपण करवाया जायेगा ।

9- वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य कर रहे मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिये वनों को हानि न पहुँचायें इसके लिये लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करायेगा ।

10- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण उ0प्र0 वन निगम द्वारा करवाया जायेगा यदि किसी कारणवश लोक निर्माण विभाग को खड़े वृक्ष लेने जाते है तो इसका सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर भुगतान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त किया जायेगा ।

11- भारत सरकार से पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिए गए मार्ग निर्देशों जिसकी प्रति संलग्न है का पालन किया जायेगा ।

12- यह आदेश प्राधिकृत समिति की दिनांक-25/10/1990 को हुई बैठक में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है ।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ए-2-75/दस-77/14:1::4:/74 दिनांक-3-2-77 द्वारा प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

ह0/- गोपी मोहन श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

संख्या: 1229:1:/14-3-90 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय वन एवं वन्य जन्तु विभाग, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली ।
2- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ।
4- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
5- अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।पिथौरागढ़ ।
6- सचिवालय का लोक निर्माण अनुभाग-2/वित्त।व्यय नियंत्रण।अनुभाग-8
7- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ ।

आज्ञा से,

ह0/- गोपी मोहन श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

सत्य प्रतिलिपि

अधिशासी अभियन्ता सिविल
... सा नि वि ...